न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/08	01.02.2023	136 LR Act	20.05.2024

बउनवान

01:–श्री शिवचरण पुत्र घसीटा राम जाति बाल्मिकी निवासी केरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर
——प्रार्थी

बनाम

01:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1468 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर जो कि प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी है उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 1468 रकबा 1.2400 है0 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर प्रार्थी को जर्ये विरासत नामान्तकरण स0 1121 से अपने पिता घसीटा पुत्र भंवरिया जाति वाल्मिकी से विरासत मे प्राप्त हुई है जिसका नामान्तकरण स0 1121 खोलते समय तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो द्वारा मेरा नाम शिबली पुत्र घसीटा अंकित कर दिया जबकि यह मेरा बोलता नाम है राजस्व कर्मचारियो को मेरे दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड से मेरे नाम की जॉच कर दस्तावेजी नाम शिवचरण पुत्र घसीटा दर्ज करना चाहिये था। मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 1468 रकबा 1.2400 है0 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर मे प्रार्थी का नाम शिबली पुत्र घसीटा के स्थान पर मुताबिक आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र शिवचरण पुत्र घसीटाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। मुकदमा प्रार्थना पत्र पक्षकारान अदालत श्रीमान के सीमा क्षेत्र के है इसलिये यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के श्रवणयोग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया गया प्रकरण मे तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार अलवर ने रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

कमांक एल.आर/2023/1500 दिनांक 20.02.2023 प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी शिवचरण पुत्र घसीटा जाति वाल्मिकी निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर राजस्व रिकार्ड ख0 न0 1468 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर मे अपना नाम शिबली पुत्र घसीटा के स्थान पर शिवचरण पुत्र घसीटाराम दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहता है मुताबिक रिपोर्ट प0ह0 खेडलीसैयद हाल जमाबन्दी वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर के खाता स0 36 मे दर्ज खसरा नम्बर 1468 रकबा 1.24 है0 शिबली पुत्र घसीटा हि0 1/10 जाति बाल्मिकी सा0 देह खातेदार वगैराह के नाम दर्ज रिकार्ड है मौका पर्चा के अनुसार शिबली पुत्र घसीटा जाति बाल्मिकी निवासी केरवाजाट का नाम ही शिवचरण पुत्र घसीटाराम है।, ग्राम पंचायत ग्राम केरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा जिला अलवर के अनुसार प्रमाणित किया गया है कि शिबली पुत्र घसीटा ग्राम केरवाजाट का मूल निवासी है तथा इसका मूल नाम शिवचरण है शिबली उर्फ शिवचरण दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।पहचान पत्र निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मनगढ जिला अलवर आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, मे प्रार्थी का नाम शिवचरण पुत्र घसीटाराम अंकित है। मुताबिक सलंग्न नामान्तकरण स0 1121 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर ख0 न0 1468 रकबा 1.24 है0 किस्म चाही 3 मे मृतक घसीटा पुत्र भॅंवरिया वाल्मिकी हि0 1/2 की विरासत मृतक के वारिसान सूरज, शिबली, भगवान पि0 घसीटा, उगन्ती पुत्री घसीटा हि0 4/10 विश्वेन्द्र पुत्र तारा मिथलेश कविता गीता पुत्रीयान तारा भगवानी पत्नि स्व0 तारा हि0 बाल्मिकी सा0 देह खातेदार शेष हि0 बदस्तूर के नाम दिनॅाक 27–6–2015 को तहसीलदार अलवर द्वारा स्वीकृत किया गया है अतः मुताबिक रिपोर्ट शिबली उर्फ शिवचरण दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है राजस्व रिकॅार्ड ख0 न0 1468 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर मे शिबली पुत्र घसीटा के स्थान पर शिवचरण पुत्र घसीटाराम दुरूस्त किया जाना उचित है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताबिक सलंग्न नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

स0 1121 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील अलवर ख0 न0 1468 रकबा 1.24 है0 किस्म चाही 3 मे मृतक घसीटा पुत्र भॅंवरिया वाल्मिकी हि0 1/2 की विरासत मृतक के वारिसान सूरज, शिबली, भगवान पि0 घसीटा, उगन्ती पुत्री घसीटा हि0 4/10 विश्वेन्द्र पुत्र तारा मिथलेश कविता गीता पुत्रीयान तारा भगवानी पत्नि स्व0 तारा हि0 बाल्मिकी सा0 देह खातेदार शेष हि0 बदस्तूर के नाम दिनॅाक 27-6-2015 को तहसीलदार अलवर द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा आधार कार्ड स0 535372175001 एंव भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र स0 आरजे/09/066/114009 तथा राशन कार्ड मे भी शिवचरण पुत्र घसीटाराम अंकित है।

प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है।

अतः ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम केरवा जाट तहसील अलवर के आराजी खसरा नम्बर 1468 रकबा 1. 24 है0 पर दर्ज प्रार्थी का नाम" शिबली पुत्र घसीटा " को क़लमजन कर शिबली पुत्र घसीटा के स्थान पर " शिवचरण पुत्र घसीटा राम " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रृविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 20-5-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

[नियम 26]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3/5/24 [illegible] हुई। उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य। में व्यस्त है। दिनांक 30/4/24 को पेश हो। रीडर 30-4-24 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली रिपोर्ट अवलोकन किया पत्रावली बाबत आदेश दिनांक 20-5-24 को पेश होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर 20-5-24 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को भिजवाते हुए पत्रावली अलवर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner